

कार्यालय उप वन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Deputy conservator of Forest, Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone & Fax No-01372252149

Email-dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:-

गोपेश्वर,

दिनांक 9/4/2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

अयरी सं 939
फाइल सं 1.1.1.1
दिनांक 15/04/2025

विषय:-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग (किमी 24.500 से किमी 27.500 तक) के निर्माण हेतु 2.23 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक 2250/12-1, दिनांक 23.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग (किमी 24.500 से किमी 27.500 तक) के निर्माण हेतु 2.23 है 0 वन भूमि हेतु प्रयोक्ता अभिकरण से नये दरों के अनुसार अतिरिक्त एन 0 पी 0 वी 0 की देय धनराशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त कम में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर के कार्यालय के पत्रांक 970/1सी 0 वन, दिनांक 25.06.2025 द्वारा नये दरों के अनुसार अतिरिक्त एन 0 पी 0 वी 0 की देय धनराशि रु 9,98,706.00 जमा कर चालान की प्रति संलग्न कर इस कार्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

अतः उक्त चालान की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्रदान करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)

उप वन संरक्षक,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 143 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

143
15/7/25

(सर्वेश कुमार)

उप वन संरक्षक,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक- / 1 सी0 वन

दिनांक

25/06/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.23 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(P.No- FP/UK/ROAD/12951/2015)

सन्दर्भ-

1- आपका पत्रांक संख्या 4782/12-1 दिनांक 23.4.2025

2-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून का पत्र संख्या 2250/12-1 दिनांक 22.3.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.23 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु वर्तमान दरों के अनुसार एन0पी0वी0 की अवशेष धनराशि रू0 9,98,706.00 जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था। खण्ड के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल से जनरेट किये गये CHALLAN के माध्यम से दिनांक 25.6.2025 को रू0 998706.00 की धनराशि जमा की जा चुकी है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण को अतिशीघ्र प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न- CHALLAN की मूल प्रति 1 नं0 एवं दो अतिरिक्त प्रति (रू0 998706.00)

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर

पत्रांक 970 / 1 सी0 वन

तददिनांक

प्रतिलिपि-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता तृतीय नि0ख0लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 21-06-2025

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT GOPESHWAR UTTARAKHAND
Application No.	6112951232
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/216/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	office of the executive engineer, temporary division, public works department gauchar, chamoli Chamoli
Amount(in Rs)	998706/-

Amount in Words :Nine Lakh Ninety-Eight Thousand Seven
Hundred and Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896112951232 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through c
even after 7 working days, then kindly mail a copy c
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse
ubin0903710@unionbankofindia.bank



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone @ Fax No&01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक

3351

/ 12-1

गोपेश्वर,

दिनांक

05/07

2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गौचर सिदोली धनपुर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.23 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :-

आपके कार्यालय के पत्रांक 198/FP/UK/ROAD/12951/2015, दिनांक 31.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के कार्यालय के पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/०६/२१६/२०१७/एफ०सी०/१६७०, दिनांक १२.११.२०१८ एवं पत्र दिनांक १९.०३.२०२१ द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं० ०१ के अनुपालन में "क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित कुल ४.४६० है० क्षेत्रफल में से ग्राम-झिरकोटी में ऑनलाईन अपलोड की गई KML File में प्रस्तावित क्षेत्र का क्षेत्रफल ४.७४ है० दर्शित हो रहा है, जबकि वास्तविक क्षेत्रफल २.४६ है० प्रस्तावित है"। उक्त क्रम में सी०ए० हेतु चयनित स्थल ग्राम झिरकोटी २.४६ है० की संशोधित KML File एवं मानचित्र प्रस्तावक विभागा द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है एवं हार्ड कॉपी प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(तरुण एस०)

प्रभागीय वनाधिकारी,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 3351 / 121 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(तरुण एस०)

प्रभागीय वनाधिकारी,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Email:-eepwdgauchar@gmail.com

Phone/Fax No. :- 01363-240614

दिनांक 23/10/2024

पत्रांक-1583 / 1 सी0 वन

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.23 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

(प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/12951/2015)

सन्दर्भ:-

- 1- आपका पत्रांक संख्या 805/12-1 दिनांक 23.8.2024 एवं 4533/12-1 दिनांक 29.2.2024
- 2- इस कार्यालय का पत्रांक संख्या 1156/1सी0 दिनांक 17.8.2024 एवं 932/1सी0 वन दिनांक 12.7.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र 805/12-1 दिनांक 23.8.2024 द्वारा निर्देशित किया गया है कि नोडल कार्यालय के पत्रांक संख्या 198/FP/UK/ROAD/12951 दिनांक 31.7.2023 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 की अनुपालन में चाही गयी सूचना आपत्ति एवं निराकरण कॉलम में बनाकर प्रस्तावित कुल 2.23 के सापेक्ष 4.46 है0 ग्राम-झिरकोटी एवं ग्राम चोरड़ा की के0एम0एल0 फाइल, जियोरेफरेन्स मैप एवं डिजिटल मानचित्रों को ऑनलाइन अपलोड कर पूर्ण विवरण के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय। साथ ही परिवेश पोर्टल में आपके द्वारा अपलोड किये गये सी0ए0 क्षेत्र के के0एम0एल0 एवं मानचित्रों में कही पर भी जिलाधिकारी चमोली द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु (पूर्व में प्रस्तावित चयनित क्षेत्र बौला सेरा सिविल 2.00 है0) परिवर्तित क्षेत्र ग्राम चोरड़ा से सम्बन्धित अभिलेख अपलोड नहीं किये गये हैं। जिस पर स्पष्ट आख्या निम्नवत् है-

क्र0सं0	नोडल कार्यालय द्वारा लगाई गई आपत्ति	निराकरण
1	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कुल 4.460 है0 क्षेत्रफल में से ग्राम झिरकोटी में ऑनलाइन अपलोड की गयी के0एम0एल0 फाइल में प्रस्तावित क्षेत्र का क्षेत्रफल 4.74 है0 दर्शित हो रहा है, जबकि वास्तविक क्षेत्रफल 2.46 है0 प्रस्तावित है। अतः सी0ए0 हेतु चयनित स्थल ग्राम-झिरकोटी 2.46 है0 की संशोधित KML File एवं मानचित्र ऑनलाइन अपलोड कर हार्डप्रति में भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कुल 4.460 है0 क्षेत्रफल में से ग्राम झिरकोटी की के0एम0एल0 एवं मानचित्र फाइल वन विभाग के आई0टी0 सैल से संशोधित करवाकर 2.46 है0 हेतु पूर्व में तैयार की गई है। जिसे सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत होने के कारण पार्ट-1 में अपलोड नहीं किया जा सका। जिस कारण के0एम0एल0 फाइल एवं मानचित्र पार्ट- पोर्टल पर Processing for Stage-II के बिन्दु संख्या Mutation Details में अपलोड किये गये हैं। उक्त मानचित्र पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या 932/1सी0 वन दिनांक 12.7.2024 द्वारा आपके कार्यालय को हस्ताक्षर हेतु तीन-तीन प्रतियों में एवं के0एम0एल0 फाइल ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके हैं। आपके कार्यालय पत्र संख्या 502/12-1 दिनांक 3.8.2024 द्वारा मानचित्र मात्र PDF Format में इस कार्यालय को अपलोड हेतु उपलब्ध कराये गये हैं। वास्तविक रूप से मानचित्र आपके कार्यालय में सम्बन्धित के पास उपलब्ध है।

परिवेश पोर्टल में सी0ए0 क्षेत्र के के0एम0एल0 एवं मानचित्रों में कही पर भी जिलाधिकारी चमोली द्वारा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु (पूर्व में प्रस्तावित चयनित क्षेत्र बौला सेरा सिविल 2.00 है0) परिवर्तित क्षेत्र ग्राम चोरड़ा से सम्बन्धित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड न होने का कारण निम्नवत् है-

उपरोक्त मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/216/2017 दिनांक 12.11.2018 के द्वारा पूर्व ही प्राप्त है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त परिवर्तित क्षेत्र ग्राम चोरड़ा से सम्बन्धित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये। जिसके सैद्धान्तिक स्वीकृति में संशोधन हेतु प्रकरण आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया। जिसके उपरान्त ग्राम चोरड़ा से सम्बन्धित के0एम0एल0 फाइल, मानचित्र एवं अन्य अभिलेख आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या 3120/12-1 दिनांक 03.2.2021 द्वारा नोडल कार्यालय को प्रेषित किये गये। जिसे अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी महोदय के पत्रांक संख्या 2118/FP/UK/ROAD/12951/2015 दिनांक 10.2.2021 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्रेषित किये गये हैं (पत्र की प्रति आपके कार्यालय को भी प्रेषित है)। जिसके उपरान्त भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/216/2016/एफ0सी0/2488 दिनांक 19.3.2021 द्वारा संशोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। ग्राम चोरड़ा से सम्बन्धित अभिलेख पोर्टल पर Processing for Stage-II के बिन्दु संख्या Mutation Details में अपलोड किये गये हैं।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही कर सी0ए0 हेतु चयनित स्थल ग्राम-झिरकोटी 2.46 है0 के मानचित्रों को अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण महोदय को प्रेषित करने की कृपा करे, ताकि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

संलग्न- परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन किये गये Mutation Details के पृष्ठ की छायाप्रति।

भवदीय
23/10/21
अधिशसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

पत्रांक संख्या

/1सी0 वन

तददिनांक

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव की Mutation Details पूर्व ही ऑनलाइन की जा चुकी है, जिसका आपसे सत्यापन अपेक्षित है। अतः उक्त का सत्यापन करने की कृपा करे। ताकि प्रकरण पर अतिरिक्त सूचना खण्ड द्वारा अपलोड की जा सके।

अधिशसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

परिवेश पोर्टल में सी0ए0 क्षेत्र के के0एम0एल0 एवं मानचित्रों में कहीं पर भी जिलाधिकारी चमोली द्वारा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु (पूर्व में प्रस्तावित चयनित क्षेत्र बौला सेरा सिविल 2.00 है0) परिवर्तित क्षेत्र ग्राम चोरड़ा से सम्बन्धित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड न होने का कारण निम्नवत् है—

उपरोक्त मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/216/2017 दिनांक 12.11.2018 के द्वारा पूर्व ही प्राप्त है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त परिवर्तित क्षेत्र ग्राम चोरड़ा से सम्बन्धित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये। जिसके सैद्धान्तिक स्वीकृति में संशोधन हेतु प्रकरण आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया। जिसके उपरान्त ग्राम चोरड़ा से सम्बन्धित के0एम0एल0 फाइल, मानचित्र एवं अन्य अभिलेख आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या 3120/12-1 दिनांक 03.2.2021 द्वारा नोडल कार्यालय को प्रेषित किये गये। जिसे अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी महोदय के पत्रांक संख्या 2118/FP/UK/ROAD/12951/2015 दिनांक 10.2.2021 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्रेषित किये गये हैं (पत्र की प्रति आपके कार्यालय को भी प्रेषित है)। जिसके उपरान्त भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/216/2016/एफ0सी0/2488 दिनांक 19.3.2021 द्वारा संशोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। ग्राम चोरड़ा से सम्बन्धित अभिलेख पोर्टल पर Processing for Stage-II के बिन्दु संख्या Mutation Details में अपलोड किये गये हैं।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही कर सी0ए0 हेतु चयनित स्थल ग्राम-झिरकोटी 2.46 है0 के मानचित्रों को अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण महोदय को प्रेषित करने की कृपा करें, ताकि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

संलग्न— परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन किये गये Mutation Details के पृष्ठ की छायाप्रति।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

पत्रांक संख्या 1583 / 1सी0 वन

तद्दिनांक

प्रतिलिपि— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव की Mutation Details पूर्व ही ऑनलाइन की जा चुकी है, जिसका आपसे सत्यापन अपेक्षित है। अतः उक्त का सत्यापन करने की कृपा करें। ताकि प्रकरण पर अतिरिक्त सूचना खण्ड द्वारा अपलोड की जा सके।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

Site Name : Sindrawani lagga jhirkoti

Location Details : Sindrawani lagga jhirkoti, reveunu area Srikot

Uploaded GPS File : Uploaded Scanned copy of Map : 

Mutation Status : Mutated

Mutation Status						
Circle Name.	Name of Division.	Name of Range.	Mutation Order No.	Mutation Date	How Much Area of Mutated Land Received	Mutation Letter
Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar	Dhanpur	3136/26-14	27 Jan 2020	2.46	

No. of patches : 2

Patch wise details		
Patch No.	Shape of land identified for CA	Area of Patch/Parcel(in ha.)
2	Block(Polygon)	2

Status of CA Land so Identified : Non Forest Area

Site Name : Village chorra

Location Details : village chorra

Uploaded GPS File : Uploaded Scanned copy of Map : 

Mutation Status : Mutated

Mutation Status						
Circle Name.	Name of Division.	Name of Range.	Mutation Order No.	Mutation Date	How Much Area of Mutated Land Received	Mutation Letter
Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar	Dhanpur	3136/26-14	27 Jan 2020	2	

23. Stage-II Clearance Details

Proposal No.	Date of Stage-II Clearance	Proposal Status	Clearance Letter
FP/UK/ROAD/12951/2015		Approved In-Principle	No Data

Print

	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	CF	Yes	One		02-11-2015
Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	DFO	Yes	One		22/08/2015

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (Part II, III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	DFO	Recommended	In public demand		
	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	CF	Recommended	In Public intrest.		Yes
		Nodal Officer	Recommended	As per file attached		

Specific recommendation of the State Government (Part V)

17.

Specific recommendation of the State Government for acceptance or otherwise of the proposal with reason (Part V)

State	Recommendation By	Recommendation	Recommendation Date	Remarks	Signing Authority	Notification	Recommendation Letter
Uttarakhand	State Secretary	Recommended	20/09/2016		State Govt. Officer	No Data	

Stage-I Clearance Report

17.

Regional Office	Recommendation By	MoEF File No.	Date of Stage-I Clearance	Clearance Letter
Dehradun	Regional Office	8B/UCP/06/216/2017/FC	12/11/2018	

18. Payment made by User Agency

Proposal No.	Application No.	Total Amount (Rs.)	Recieved Amount (Rs.)	Transaction Date	Transaction ID	Bank Name	Mode of Payment	Demand Generated By User Agency	Demand Verified By Nodal Officer	Uploaded Demand Letter
FP/UK/ROAD/12951/2015	ROAD1295120152823	3,127,196.00	5,817,320.00	2019-02-14	SBIN819045543386	Corporation Bank	NEFT/RTGS (Challan)	NA	NA	

19. Uploaded Status of Land to be transferred to Forest Department under FCA (Mutation Details).

(i). Whether CA Land is mandatorily required in this Proposal : Yes

(ii). Total Land Identified for raising CA: 4.46

(iii). No. of Maintenance years: 7

(iv). Total No. of Patches/Parcel: 2

No. of patches : 1

Patch wise details		
Patch No.	Shape of land identified for CA	Area of Patch/Parcel (in ha.)
1	Block (Polygon)	2.46

Status of CA Land so Identified : Non Forest Area

3-7-2021

अगर प्रमुख वन संरक्षक ए. मोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि संरक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

2- जनपद घमोली के अन्तर्गत गौधर-सिदौली-धनपुर मोटर मार्ग (कि०मी० 24.500 से कि०मी० 27.500 तक) के निर्माण हेतु 2.23 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

दर्श- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून का पत्र सं०- 08बी/यू०सी०पी०/06/216/2017/एफ०सी०/1870 दिनांक 12.11.2018 एवं 08बी/यू०सी०पी०/06/216/2016/एफ०सी०/2488 दिनांक 19.03.2021

एच.

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा जनपद घमोली के अन्तर्गत गौधर-सिदौली-धनपुर र मार्ग के नवनिर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 7 शर्तों अनुपालन आख्या बिन्दुवार 03 प्रतिधियों में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि गौधर के पत्र की प्रति सहित प्रेषित की जा रही है।

सं० -1 प्रतिपूरक वनीकरण:

- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल ग्राम-झिरकोटी (2.46 है० सिविल सोयम भूमि) एवं ग्राम घोरडा (1 है० भूमि) कुल 4.460 है० भूमि पर वन विभाग द्वारा स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के पौधों को लगाया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु० 12,42,846.00 (बारह लाख बयालीस हजार आठ सौ छियालीस) मात्र की धनराशि ऑनलाइन चालन दिनांक 14.02.2019 द्वारा जमा की जा चुकी है।

न- आनलाइन की छायाप्रति।

- ग्राम घोरडा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 2.00 है० क्षेत्र में 1000 पौध प्रति है० हेतु उपयुक्त है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.460 है० भूमि का वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी घमोली के आदेश सं०- 1/छबीस-14 (2019-2020) गोपेश्वर दिनांक 27.1.2020 द्वारा नामान्तरण एवं हस्तान्तरण किया जा चुका है। Notification हेतु राजस्व विभाग कर्णप्रयाग द्वारा उक्त भूमि को अपने अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया।

न 2- नामान्तरण आदेश की छायाप्रति एवं अमल दरामद के अभिलेख मूल में।

प्रमाण पत्र संलग्न।

सं० -2 के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि रु० 18,84,350.00 (अठ्ठारह लाख चौरासी हजार तीन सौ पचास) मात्र की धनराशि ऑनलाइन चालन दिनांक 14.02.2019 द्वारा जमा की जा चुकी है। (संलग्न 1 के पत्र)

सं० 3 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार रिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

न 3- वचन बद्धता का प्रमाण पत्र मूल में।

सं 4 के अनुपालन में एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समस्त धनराशि बैंब पोर्टल पर ऑनलाइन चलन के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा की गयी है। संलग्न।

सं 5 के अनुपालन में जहाँ-जहाँ सम्भव होगा सड़क के दोनों किनारों एवं Central Verge पर विभाग अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

सं 5- वचन बद्धता का प्रमाण पत्र मूल में।

सं 6 के अनुपालन में Employment Generation का डाटा अपलोड किया जा चुका है।

सं 7 के अनुपालन हेतु प्रस्ताव की मूल प्रति में मोटर मार्ग के मानचित्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण के चित्र अपर वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी देहरादून के कार्यालय में दिनांक 16.04.2021 को संलग्न किये जा चुके हैं।

संलग्न- यथोपरि।

मि. अमित

भवदीय,

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 108 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

दृष्टावृत्ति स्थापक अभियंता केन्द्र
को सूचनार्थ प्रेषित।

✓ 
E.E.
24/4/21



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक- 307 / 1सी0 (वन)

दिनांक 3 / 08 / 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गौचर-सिदौली-घनपुर मोटर मार्ग (कि०मी० 24.500 से कि०मी० 27.500 तक) के निर्माण हेतु 2.23 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केंद्रीय क्षेत्र)
देहरादून का पत्र सं०- 08बी/यू०सी०पी०/०६/२१६/२०१७/एफ०सी०/१६७० दिनांक १२.११.२०१८
एवं ०८बी/यू०सी०पी०/०६/२१६/२०१६/एफ०सी०/२४८८ दिनांक १९.०३.२०२१

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गौचर-सिदौली-घनपुर मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित ७ शर्तों की अनुपालन आख्या विन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

शर्त सं० -१ प्रतिपूरक वनीकरण:

(क) - क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल ग्राम-झिरकोटी (२.४६ है० सिविल सोयम भूमि) एवं ग्राम चोरड़ा (२.०० है० भूमि) कुल ४.४६० है० भूमि पर वन विभाग द्वारा स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के पौधों को लगाया जायेगा व प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू० १२,४२,८४६.०० (बारह लाख बयालीस हजार आठ सौ छियालीस) मात्र की धनराशि ऑनलाइन चालन दिनांक १४.१२.२०१९ द्वारा जमा की जा चुकी है।

संलग्न- आनलाइन चालान की छायाप्रति।

(ख) - ग्राम चोरड़ा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित २.०० है० क्षेत्र के डी०एस०एस० विश्लेषण के अनुसार १.०० है० क्षेत्र एम०डी०एफ० में पाया गया है। जिसमें आप के स्तर से निरीक्षण किया जाना है एवं निरीक्षण उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

(ग)- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ४.४६० है० भूमि का वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी चमोली के आदेश सं०- ३१३६/छबीस-१४ (२०१९-२०२०) गोपेश्वर दिनांक २७.१.२०२० द्वारा नामान्तरण एवं हस्तान्तरण किया जा चुका है तथा Notification हेतु राजस्व विभाग कर्णप्रयाग द्वारा उक्त भूमि को अपने अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है।

संलग्न २- नामान्तरण आदेश की छायाप्रति एवं अमल दरामद के अभिलेख मूल में।

(घ)- वन मंडल अधिकारी द्वारा सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य न किये जाने का प्रमाण पत्र आपके स्तर से प्रेषित किया जाना है।

शर्त सं० -२ के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि रू० १८,८४,३५०.०० (अठ्ठारह लाख चौरासी हजार तीन सौ पचास) मात्र की धनराशि ऑनलाइन चालन दिनांक १४.१२.२०१९ द्वारा जमा की जा चुकी है। (संलग्न १ के अनुसार)

सं0 3 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार वनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

सं0 3- वचन बद्धता का प्रमाण पत्र मूल में।

सं0 4 के अनुपालन में एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समस्त वनराशि बैंक पोर्टल पर ऑनलाइन मोट चालन के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा की गयी है।

संलग्न 4- आनलाइन पोर्टल द्वारा जमा राशि का पृष्ठ)

सं0 5 के अनुपालन में जहाँ-जहाँ सम्भव होगा सड़क के दोनों किनारों एवं Central Verge पर विभाग द्वारा वन वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

संलग्न 5- वचन बद्धता का प्रमाण पत्र मूल में।

सं0 6 के अनुपालन में Employment Generation का डाटा अपलोड किया जा चुका है।

सं0 7 के अनुपालन हेतु प्रस्ताव की मूल प्रति में मोटर मार्ग के मानचित्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण के मानचित्र वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी देहरादून के कार्यालय में दिनांक 04.02.2021 को संलग्न किये जा चुके हैं।

भवन
(ई0 दिनेश कुमार)
अधिरासी अभियन्ता
05/6/21

क्रांक 907 /1 सी0 वन

तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।
- 3- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 लो0नि0वि0 पौड़ी।
- 4- जिलाधिकारी चमोली।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता 07वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
- 6- सहायक अभियन्ता पंचम, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर।

o/c

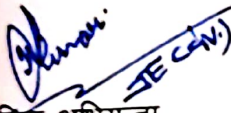
अभिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)
05/6/21

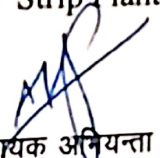
परियोजना का नाम - जनपद चमोली के अन्तर्गत गौचर-सिदौली-धनपुर मोटर मार्ग
(कि०मी० 24.500 से कि०मी० 27.500 तक) के निर्माण हेतु 2.23
है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

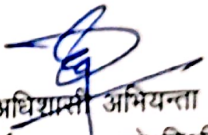
शर्त संख्या 6

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख-रेख में Strip Plantation कर दिया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)

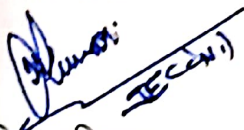
परियोजना का नाम - जनपद चमोली के अन्तर्गत गौचर-सिदौली-घनपुर मोटर मार्ग
(कि०मी० 24.500 से कि०मी० 27.500 तक) के निर्माण हेतु 2.23
है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

शर्त संख्या 3

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा
एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुयी धनराशि का
भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)



अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)

CHALLAN

BAL... JPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 12-02-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT GOPESHWAR UTTARAKHAND
Application No.	6112951282
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/216/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	office of the executive engineer, temporary divisional Chamoli
Amount(In Rs)	3127196/-

Amount in Words :Thirty-One Lakh Twenty-Seven Thousand
One Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896112951282 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

send a line of confirmation through

45543386

SBIN 819045543386

032520

29512015282&INVLDT

जनपद चमोली अन्तर्गत गौघर-सिदौली-धनपुर मोटर मार्ग (किमी 024.500 से किमी 27.500 तक) के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.230 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 4.460 हे० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/०६/216/2017/एफ०सी०/1670 दिनांक 12.11.2018 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली अन्तर्गत गौघर-सिदौली-धनपुर मोटर मार्ग (किमी 0 24.500 से किमी 0 27.500 तक) के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.230 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के एवज में ग्राम सिन्द्रवागी लगा झिरकोटी तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०ख० सं०-16 के खसरा सं०-147 रकबा 0.445 हे० भूमि मध्ये 0.189 हे०, ख०ख० सं०-17 के खसरा सं०-186 रकबा 1.328 हे० भूमि, ख०ख० सं०-10 के खसरा सं०-1399 रकबा 1.240 हे० भूमि मध्ये 0.240 हे० भूमि, खसरा सं०-1432 रकबा 1.705 हे० भूमि मध्ये 0.705 हे० भूमि कुल 2.460 हे० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3) ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, एवं ग्राम चोरड़ा की ख०ख० सं० 12 के खसरा सं०-212 रकबा 1.816 हे० भूमि, खसरा सं०-216 रकबा 0.289 हे० भूमि मध्ये 0.184 हे०, कुल 2.000 हे० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3) ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, अर्थात् कुल रकबा 4.460 हे० को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/(VIII)(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

2

(स्वाति एस० मदीरेया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 3136 / छबीस-14 (2019-2020) गोपेश्वर: दिनांक: 27 जनवरी 2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल भण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गौघर।

जिलाधिकारी
चमोली।